रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2015/कार्तिक 15, 1937
No. 689] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2015/KARTIKA 15, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवंबर, 2015

सा.का.नि. 841(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधाराएं (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) तीसरा संशोधन नियम, 2015 है।

   (ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में,

(i) नियम 18 के खंड (क) के उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(iii) 'आधारिक संरचना ऋण कोष गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011 के निदेश 3 के खंड (ख) में यथापरिभाषित आधारिक संरचना ऋण कोष गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां';

(iv) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अथवा किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा दस वर्षों से अधिक की अवधि के लिए डिबेंचर जारी करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त कंपनियां'।"

[फा. सं. 1/4/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 439(अ), तारीख 29 मई, 2015 द्वारा इसमें पिछला संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2015

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Third Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014,

(i) in rule 18,-

(a) In sub-rule (1), in clause (a) for sub-clause (iii) following sub-clauses shall be substituted, namely:-

"(iii) Infrastructure Debt Fund Non-Banking Financial Companies' as defined in clause (b) of direction 3 of Infrastructure Debt Fund Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011;

(iv) Companies permitted by a Ministry or Department of the Central Government or by Reserve Bank of India or by the National Housing Bank or by any other statutory authority to issue debentures for a period exceeding ten years."

[F. No. 1/4/2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 265(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended by notification vide number G.S.R. 439(E), dated the 29th May, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.